

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्र0सं0 11/24

दायरा दिनांक 04.12.2024

पीठासीन अधिकारी – श्री संतोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान


–प्रार्थी

बनाम

1. विधा पुत्र हरि जाति किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
2. सीताराम पुत्र हरि जाति किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
3. रामस्वरूप पुत्र हरि किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
4. मुकेश पुत्र हरि जाति किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
5. धनवंती पुत्री हरि जाति किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
6. कम्पू पुत्र प्रभूलाल जाति किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
7. भीरा पत्नि भूपतसिंह जाति किराड निवासी रामपुर तलेटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
8. घासीराम पुत्र जगनी किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
9. पूरम पुत्र जगनी किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
10. कैलाश पुत्र जगनी किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
11. कम्पूरी पुत्री जगनी किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
12. कैला पुत्री जगनी किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
13. चंदनसिंह पुत्र पन्ना किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
14. पर्वतसिंह पुत्र पन्ना किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
15. केदारी पुत्र पन्ना किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
16. बरेलाल पुत्र हटीला किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
17. लक्ष्मण पुत्र घसीटा किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
18. हरविलास पुत्र घसीटा किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
19. मुन्नी पुत्र हरचन्दा किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
20. भैरोलाल पुत्र भंवरलाल किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
21. मानो पुत्री गजनलाल किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
22. चम्पा पुत्र सिरिया किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
23. लक्ष्मण पुत्र सिरिया किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
24. उम्मेद पुत्र सिरिया किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
25. शिवदयाल पुत्र कैलाशचन्द किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.

26. विनोद पुत्र कैलाशचन्द किराड निवासी कुजाय तह. शाहाबाद जिला बारां राज.

–अप्रार्थीगण


उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

प्रार्थनापत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट वास्ते इन्द्राज दुरुस्ती


निर्णय दिनांक – 12.12.2024



उपस्थित - प्रार्थी की ओर से - परोकार सरकार


अप्रार्थी की ओर से - स्वयं

1. मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कुजाय प.मं. संदोकडा तहसील शाहाबाद में सेटलमेंट जमाबंदी ख.नं. 59, 63, 64, 68, 70, 71 अप्रार्थीगण के खाते दर्ज चले आ रहे हैं। ग्राम कुजाय में सडक निकलने के बाद उक्त खसरां के दो टुकड़े करते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया, जबकि मौका अनुसार उक्त सडक उक्त खसरां के किनारे से नहीं निकलकर मध्य से निकली है, जिससे उक्त खसरां के तीन भाग हो गये हैं।
2. यह कि उक्त खसरा नंबरों को 3 भाग में न बांटकर 2 ही टुकड़े किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं। ख.नं. 59/3.08, 59/1 रकबा 0.12, 63/3.19, 63/1 रकबा 1.01, 64/2.08, 64/1 रकबा 0.07, 68/2.09, 68/1 रकबा 0.07, 70/4.07, 70/1 रकबा 0.13, 71/2.00, 71/1 रकबा 0.10 उपरोक्त खसरा नम्बरान अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज चले आ रहे हैं।
3. वास्तविकता यह है कि सडक निकलने से उपरोक्त खसरां को 3 भागों में बांटना चाहिये था, लेकिन 3 भागों में न बांटकर 2 ही भागों में बांटने से तरमीम कार्य में बाधा आ रही है।
4. वर्तमान में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना (DILRMP) अन्तर्गत तरमीम कार्य प्रगति पर है, परन्तु उक्त ख.नं. 3 के स्थान पर 2 भाग में होने से तरमीम कार्य में बाधा आ रही है, जिसे दुरुस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है।
5. अतः श्रीमान से निवेदन है कि वर्तमान जमाबंदी में दर्ज ख.नं. 59/3.08, 59/1 0.12, 63/3.19, 63/1 1.01, 64/2.08, 64/1 0.07, 68/2.09, 68/1 0.07, 70/4.07, 70/1 0.13, 71/2.00, 71/1 0.10 के स्थान पर 59/1.19, 59/1 0.12, 59/2 1.09, 63/1.04, 63/1 1.01, 63/2 2.15, 64/1.10, 64/1 0.07, 64/2 0.18, 68/1.17, 68/1 0.07, 68/2 0.12, 70/3.02, 70/1 0.13, 70/2 1.05, 71/1.12, 71/1 0.10, 71/2 0.08 दुरुस्ती के आदेश पारित फरमावें।
6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 13,14,15,16,18,20,23,24,25 उपस्थित आए और उक्त दुरुस्ती बावत अपना इकबालिया जबाव पेश किया। अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 12, 17,19,21,22,26 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
7. प्रार्थी का कथन है कि ख.नं. 59, 63, 64, 68, 70, 71 ग्राम कुजाय के मध्य से मौके पर सडक निर्मित है, इस कारण उपरोक्त प्रत्येक खसरा नम्बर के 3 भाग हो चुके हैं, जबकि रिकार्ड में 2 भाग के रूप में इन्द्राज किया गया है। प्रार्थी का तर्क है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान के मध्य से सडक बनने से प्रत्येक खसरा नम्बर रोड के दोनो तरफ 2 भागों में बंट गया है तथा तीसरा भाग रोड के मध्य से भूमि के रूप में तब्दील हो गया है। इस प्रकार उपरोक्त प्रत्येक खसरा


उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारा (सूरी)

नम्बर के मौके पर 3 भाग हो गये हैं, जिनकी इसी अनुसार तरमीम किया जाना है, जिसका तखमीना प्रार्थनापत्र में अंकित है। हम प्रार्थी के तर्क से सहमत हैं। उपरोक्त अनुसार तरमीम किये जाने में अप्रार्थीगण भी सहमत हैं।

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट वास्ते इन्द्राज दुरुस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को आदेश है कि ग्राम कुजाय तहसील शाहावाद स्थित आराजी ख.नं. 59, 63, 64, 68, 70, 71 के स्थान पर खसरा नम्बर 59/1.19, 59/1 0.12, 59/2 1.09, 63/1.04, 63/1 1.01, 63/2 2.15, 64/1.10, 64/1 0.07, 64/2 0.18, 68/1.17, 68/1 0.07, 68/2 0.12, 70/3.02, 70/1 0.13, 70/2 1.05, 71/1.12, 71/1 0.10, 71/2 0.08 दर्ज कर तरमीम कार्य किया जावे। निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वइजलास सुनाया गया। पालनार्थ तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसलशुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद जिला वाराँ (सच)